न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :— प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :— 21 / 2025 ई.रे. दिनांक 23.09.2025

1— रूपाबाई पत्नि लालसिंह मीणा निवासी भियाणा, तहसील बडीसादडी

— प्रार्थीया

बनाम

1— भेरू लाल पिता वरदा मीणा निवासी जोधा तलाई, बान्सी तहसील बडीसादडी
2-- उदा पिता भेरू मीणा निवासी जोधा तलाई, बान्सी तहसील बडीसादडी
3- लाला पिता भेरू मीणा निवासी जोधा तलाई, बान्सी तहसील बडीसादडी
4— मागू पिता उदा मीणा निवासी जोधा तलाई, बान्सी तहसील बडीसादडी
5— नारायण पिता उदा मीणा निवासी जोधा तलाई, बान्सी तहसील बडीसादडी
6— वकतुडी पत्नि उदा मीणा निवासी जोधा तलाई, बान्सी तहसील बडीसादडी
7-- लक्ष्मी पत्नि उदा मीणा निवासी जोधा तलाई, बान्सी तहसील बडीसादडी
8— सुशिला पत्नि लाला मीणा निवासी जोधा तलाई, बान्सी तहसील बडीसादडी
9-- भूमिधारी जरिये तहसीलदार बडीसादडी

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित— श्री एस.एम. माजिद वकील प्रार्थीया
श्री एम.के. गोस्वामी वकील विपक्षीगण

—:: आदेश ::—

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट. का इस आशय का पेश किया कि:—

1. उक्त उनवान प्रकरण का एक वाद पत्र न्यायालय आप में प्रस्तुत किया है। जो सुदृढ आधारो पर होकर अवश्य ही सफल होगा परन्तु उसके न्याय व निर्णत में समय लगने की सम्भावना है।
2. ग्राम बान्सी (जोधा तलाई) पटवार हल्का बान्सी में प्रार्थीया कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की कृषि भूमि स्थित है जिसके खाता सं0 389 होकर उसकी आराजी निम्न है।

आराजी	रकबा	लगान
1447	1.6200	11.34

कुल किता 1 कुल रकबा 1.6200 है0 कुल लगान 11.34 रू0 है। होकर साक्ष्य में जमाबन्दी पेश है। उक्त आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे चलकर वादग्रस्त आराजीयात से संबोधित किया गया है।

3. प्रार्थीया शादी के बाद से अपने ससुराल भियाणा में निवारत् होकर वादग्रस्त आराजी पर आती जाती रहती है। विपक्षीगण का वादग्रस्त आराजी से किसी भी प्रकार से कोई संबंध सरोकार नही है फिर भी प्रार्थीया के जोधा तलाई मे निवास नहीं करने का फायदा उठाकर प्रतिवप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीया को बेदखल कर जबरन कब्जा करना चाहते है। प्रार्थीया द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर उतारू होते है जबकि विपक्षीगण का वादग्रस्त आराजी से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नही है। प्रार्थीया विपक्षीगण को इस बाबत निषेधाज्ञा से पाबंदकरने की अधिकारी है कि विपक्षीगण प्रार्थीया के कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार का दखल करे ना करावे और प्रार्थीया को इसके हक हिस्से खातेदारी व कब्जे काश्त से बेदखल नही करे ना करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:27:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

4. आज से 1 माह पूर्व प्रार्थीया बीमार हो गई और वादग्रस्त आराजी पर उसका जाना नही हुआ उसका फायदा उठाकर विपक्षीगण ने जबरन प्रार्थीया की वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा पर अमादा है और मना करने पर प्रार्थीया को मरने मारने की धमकि दी जिस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

5. यह कि वादग्रस्त सम्पति प्रार्थीया के कब्जा काश्त की है इस आधार पर प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है विपक्षीगण अपने मनसुबो कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीया को अपूर्तिनिय क्षति होगी जिसकी भरपाई धन से नही की जा सकती है।

अतः प्रार्थना है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि प्रार्थना पत्र की कलम सं0 2 में वर्णित खातो के किसी भी भू भाग पर से जबरन प्रार्थीया को बेदखल नही करे। तथा प्रार्थीया को उक्त आराजीयात मे शान्तिपूर्वक कब्जे एवं उपयो उपभोग मे दखल नही दे एवं बाधा पैदा नही करने तथा बेदखल नही करने के लिये तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

वकील विपक्षीगण ने अपने जवाब में निम्न बिन्दु पेश किये।

1. प्रार्थीया पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। किन्तु प्रार्थीया द्वारा पेश वाद पत्र खारिज होने योग्य हैं जो ठोस तथ्यो पर आधारित नही होकर मनगंढन व झुठा है।
2. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो का जवाब इस प्रकार है। यह कि आराजी नम्बर 1447 वर्तमान में प्रार्थीया रूपा बाई के खातेदारी की हैं किन्तु उक्त आराजी 1447 पर वर्तमान में कब्जा कई सालों से अप्रार्थी भेरूलाल पिता वरदा मीणा निवासी जोधा तलाई का है। क्योंकि अप्रार्थी भेरूलाल, ने कई सालो पहले दिनांक 16/04/1972 को जरिये बिकाव नामा श्री भगवाना पिता जिवा रावत निवासी जोधातलाई बानसी से खरीदी थी उक्त आराजी 1446 के उस वक्त के पुराने नम्बर 657/2 थे और वर्तमान में उक्त आराजी के नम्बर 1446 है। जब ये आराजी 53 साल पहले 5 बीघा खरीदी गयी तब मौके पर विक्रेता भगवाना कई सालो से उसी आराजी पर उसी जगह काबिज था और अप्रार्थी व उसके वारिसान काबिज है। यह कि अप्रार्थी भेरा रावत ने उक्त कब्जेकाश्त आराजी पर उसी जगह अपना मकान, कुआ टयुबवैल लगा रखी है तथा अप्रार्थी ने अपने पिताजी वरदा के नाम का व अपने बेटे लालुराम के नाम का बिजली कनेक्शन भी करवा रखे है। यह कि उक्त आराजीयात पर बिकाव से ही अप्रार्थी भेरा का कब्जा होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा। और जहा अभी आराजी नम्बर 1447 है वहा पर अभी अप्रार्थीगण का कब्जा हैं। यह कि उक्त आराजी 1447 जो प्रार्थीया रूपाबाई को अलोट हुई थी वो प्रार्थीया रूपाबाई ने धनबल व राजनैतिक प्रभाव से नक्शे में गलत दर्शा दिया है बल्कि आराजी 1447 पर अप्रार्थीगण का कब्जा है।
3. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या तीन में वर्णित तथ्य मनगंढत होने से अस्वीकार है। यह कि जहा अभी आराजी नम्बर 1447 है वहा पर अभी अप्रार्थीगण का कब्जा हैं। यह कि उक्त आराजी 1447 जो प्रार्थीया रूपबाई को अलोट हुई थी वो प्रार्थीया रूपाबाई ने धनबल व राजनैतिक प्रभाव से नक्शे में गलत दर्शा दिया हैं बल्कि आराजी 1447 पर अप्रार्थीगण का कब्जा हैं। और वादग्रस्त आराजीयात बिकाव से पहले भगवाना पिता जीवा रावत निवासी जोधातलाई का कब्जा था और बिकाव के बाद से अप्रार्थी भेरा का निरन्तर कब्जा काश्त होकर चला आ रहा हैं। उक्त काश्तकारी काबिज जमीन पर अप्रार्थीगण ने लाखो रूपये खर्चा कर कृषि उपयोगी बनाया था इसको समतलीकरण करवाकर इसमें कृषि उपयोगी हेतु गोबर खाद डलवाया था। यह कि अप्रार्थीगण जहा अभी काबिज है। वहां पर घर बना हुआ है कुआ खुदा हुआ है टयुबवैल लगी हुई हैं। वादग्रस्त काबिज आराजी पर अप्रार्थी शांतिपुर्वक काश्त करता चला आ रहा है। इसी कार[illegible] काश्त आराजी को अप्रार्थी भेरूलाल के नाम किया जाना न्यायोचित है।
4. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या चार में वर्णित तथ्य मनग[illegible] से अस्वीकार हैं। क्योंकि अप्रार्थीगण प्रार्थीया रूपाबाई को बेदखल नही [illegible] व उसके साथ अन्य लोग मिलकर धनबल व डरा धमका कर [illegible] करना चाहते है जबकि अप्रार्थीगण कई अन्धे है जिनको दिखता तक नही हैं। यह कि प्रार्थीया रूपाबाई ने गलत तरिके से धनबल व

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:27:44 IST
Reason: SelfAttested

राजनैतिक दबाव से अपने नाम अलोंट करायी हैं। उक्त आराजी 1447 को गलत अलोट किया गया हैं। जबकि 1447 पर अप्रार्थीगण कई बरसों से काबिज हैं।

5. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या पांच में वर्णित तथ्य मनगढंत होने से अस्वीकार हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थीया रूपाबाई को बेदखल नही कर रहे है बल्कि प्रार्थीया रूपाबाई व उसके साथ अन्य लोग मिलकर धनबल व डरा धमका कर अप्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते हैं जबकि अप्रार्थीगण कई अन्धे है जिनको दिखता तक नही हैं।

अतः श्रीमान न्यायालय से जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मिथ्या व झुठा होने से अस्वीकार कर खारिज किया जावें।

उभयपक्षो के तर्को के एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– **<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>**

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो का अवलोकन किया गया । पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह जाहिर हो कि विपक्षी उक्त आराजी पर हस्तक्षेप कर रहा है। प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र में दस्तावेजों एवं अभिवचनों के आधार पर साबित करने में असफल रही है इसलिये प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया जाता है।

<u>2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>

उक्त दोनों बिन्दु एक दूसरे से संबंधित होने के कारण उनका विनिश्चय एक साथ किया जा रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया । हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के विरूद्ध पाया गया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को कोई अपूरणीय क्षति व असुविधा नहीं हो रही । इस प्रकार दोनो बिन्दु भी प्रार्थीया के विरूद्ध तय किये जाते है।

तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थीया साबित करने में असफल रहने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत किये जाने से अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट अस्वीकार कर. खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:27:44 IST
Reason: SelfAttested